

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 116 / 2019

तारीखरजू:- 24-9-19

उनवान:- सरोज बनाम गुलाब वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
4-9-19	वादी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 16.10.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
16.10.19	वादी वकील उप० प्रतिवादीगण के सम्मन धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट में पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 6.11.19 को पेश हो।
6.11.19	वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली मीटिंग में पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 9.12.19 को पेश हो।
9.12.19	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण बावजूद सूफा उपस्थित नहीं है। उनके विकल्प एक पक्षीप कार्यवाही की जाती है वादी साक्ष्य पेश करते दिनांक 10.1.20 को पेश हो।
10.1.20	वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली मीटिंग में पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27.1.20 को पेश हो।
7.1.20	वादी वकील उप० वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 19.2.20 को पेश हो।
9.2.20	वादी वकील उप० वादी साक्ष्य पेश करने समय जाह। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 23.3.20 को पेश हो।

4749-89
24-9-19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

8.4.21 वादी वकील उपा) प्रार्थनापत्र 022 R. 4 सपठित
 151 CPE पेश किया कि प्रतिवादी नं. 7 फोटो हो चुकी
 है उसके बाहिरान वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 6 पहले
 से ही पक्षकार क्लोप हुए है इसलिए प्रार्थनापत्र
 रदीमाए वर टेबिल लेशोफन फरमाया जेबा सुनकर
 प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी नं. 7 के नाम
 के सामने मृतक शब्द लिखने के आदेश दिये जाते है
 वादी साक्ष्य पेश करने पुनः मौका पाया। न्यायहित में एक
 अतिम मौका वादी साक्ष्य लेबु दिया जाकर आदेश है
 कि यदि आगामी पेशी पर वादी साक्ष्य पेश नहीं होती है
 तो वादी साक्ष्य काले समय नहीं दिया जावेगा/पत्रावली
 दिनांक 18.5.21 को पेश हो।



11-8-21

पत्रावली गतरान पेशी से पेश हुई। वादी वकील
 उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलाई गई।
 फिर भी वादी वकील एवं वादिपत्र से कोई भी
 उपस्थित नहीं है। अतः पर दावा अदम हाजिरी
 एवं अदम चैरनी में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली के साथ शुमार होकर नम्बर से काम होकर
 दावाएँ दफतर हो।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
 जज अतिरिक्त अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करीली